कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ

अनुलग्नक–2

ग्रामीण कार्य विभाग

- मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 38167 कि0मी0 सड़के जो अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं ली जा सकी है, के निर्माण/पुनरूद्धार कराया जाना है। इसके लिए सर्वेक्षण कराया गया है। वर्ष 2012–13 की यह प्रस्तावित योजना है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–22 तक के लिए तैयार किये गये कृषि रोड मैप के अंतर्गत वानिकीकरण की योजना 'बिहार हरियाली मिशन' के नाम से चलाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की पाँच वर्षो की अवधि में राज्य में वनावरण एवं वृक्षाच्छादन को वर्त्तमान 9.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किया जाना है।

शिक्षा विभाग

- राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 530 प्रखंडों में एक–एक मॉडल स्कूल के स्थापना के क्रम में 370 मॉडल स्कूल की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है। 265 प्रखंडों में मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु 10 करोड़ रू0 बजट उपबंध किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग

- वर्ष 2012–13 में पावापुरी और बेतिया में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।
- वर्ष 2012–13 में 6 नए नर्सिंग कॉलेजों के खोले जाने का प्रस्ताव है।
- जिला स्तर पर आपातकालीन रेफरल सेवा जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस बिहार दिवस 22 मार्च' 2012 को शुरू करने की योजना है। इसके अंतर्गत 504 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा, गर्भवती महिलायें, नवजात शिशु, दुर्घटना, वरिष्ठ नागरिक, गरीबी रेखा के नीचे बसर करनेवाले मरीजों हेतु प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग

- इंदिरा आवास का निर्माण चार माह में पूरा करने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है जिसमें लाभुक को प्रोत्साहन हेतु 1 हजार का भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2012–13 में 10 करोड़ का उपबंध है।
- अर्द्धनिर्मित तथा क्षतिग्रस्त इंदिरा आवास की मरम्मति के लिए "मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" हेतु वर्ष 2012–13 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।

पंचायती राज विभाग

- "मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम" के अंतर्गत राज्य के सभी गाँव एवं टोलों की गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2012–13 में 10 करोड़ रू0 का प्रारम्भिक प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण विभाग

- वर्त्तमान में निःशक्तजनों के कल्याणार्थ 10 योजनाएँ संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में निःशक्तजनों के कल्याणार्थ सभी योजनाओं को एकीकृत करते हुए मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना प्रारम्भ की जाएगी जिसके लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 से कुष्ठ रोगियों एवं बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु नई योजना "मदर टेरेसा पेंशन योजना" का प्रस्ताव है जिसके लिए 1 करोड़ रू0 का व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 में दुर्घटना में मृतको के परिजनों के लाभार्थ नई योजना "बिहार परिवार लाभ योजना" प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिए 5 करोड़ रूपये व्यय का प्रस्ताव है।

अनु जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण

- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना : गया जिला के वैसे 225 गाँव जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, के सर्वांगीण विकास हेतु प्रति ग्राम 40.00 लाख रू0 उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यांश मद में कुल 12.725 करोड़ आवंटित किया गया है।
- वैसे छात्र–छात्राएं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें शताब्दी मुख्यमंत्री अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति बालिका उत्कृष्ट मेधावृत्ति योजना के तहत् 25,000/– रू0 देने की योजना प्रारंभ की जा रही है।
- शताब्दी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक अनु0जाति के लिए 250 करोड़ रू0, अनु0 जनजाति के लिए 30 करोड़ रू0, कुल 280 करोड़ रू0 स्वीकृति का प्रस्ताव हैं। इससे बेरोजगार युवकों एवं युवतियों के विभिन्न योजनाओं/व्यवसायो में अधिकतम 5 लाख रू0 तक ऋण राशि मुहैया कराने का प्रस्ताव है।
- शताब्दी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक अनु0जाति के लिए 90 करोड़ रू0, अनु0 जनजाति के लिए 10 करोड़ रू0, कुल 100 करोड़ रू0 स्वीकृति का प्रस्ताव हैं। इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मेडिकल/तकनीकी/आई.टी.आई./डिप्लोमा/बी.एड./एम.एड. विधि एवं प्रबन्धन शिक्षा तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, जो पाँच वर्षों की अवधि से अधिक की न हों, में प्रति वर्ष अधिकतम एक लाख रूपये तक की दर से अधिकतम पाँच वर्षों के पाठ्यक्रम के लिए पाँच लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जायेगा।
- ''बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

अल्प संख्यक कल्याण विभाग

- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2011–12 से लागू है जिसके तहत अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। इसमें वर्ष 2011–12 में 1100.00 लाख रूपये का योजना उद्व्यय स्वीकृत है जबकि 2012–13 में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना की वर्ष 2011–12 से प्रभावी है जिसके तहत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। वर्ष 2011–12 में 400.00 लाख रूपये का योजना उद्व्यय स्वीकृत है जबकि वर्ष 2012–13 में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- अल्पसंख्यक छात्रवास आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2011–12 से प्रभावी है जिसके तहत सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावासों को जेनरेटर, टी.वी, फ्रीज, एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से आधुनिकीकरण करना है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 200.00 लाख का योजना उद्व्यय स्वीकृत है जबकि 2012–13 में 1.70 करोड़ का प्रावधान है।

श्रम संसाधन विभाग

- बिहार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं शिल्पकारों की दुर्घटना मृत्यु अथवा पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान देने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति एवं असाध्य रोगों से ग्रसित मजदूरों को ईलाज के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव है।

———————